भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 59*
(03 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

केरल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कोरंगोट्टा द्वीप पुल

***59. श्री हैबी ईडन:**

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत केरल के एर्नाकुलम में कोरंगोट्टा द्वीप पुल के निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव विचारार्थ प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कोरंगोट्टा द्वीप पुल परियोजना को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को चेरानल्लूर ग्राम पंचायत में कोरंगोट्टा द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए लंबे समय से की जा रही मांग की जानकारी है;

(घ) क्या कोरंगोट्टा द्वीप पुल परियोजना के अनुमोदन और कार्यान्वयन के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है और यदि नहीं, तो बार-बार अभ्यावेदन दिए जाने के बावजूद इसमें विलंब के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने समावेशी ग्रामीण विकास के उद्देश्यों के अनुरूप कोई कदम उठाए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (च): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

"केरल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कोरंगोट्टा द्वीप पुल " के संबंध में लोक सभा में दिनांक 03.02.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 59 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (घ): कार्यक्रम की शुरुआत से जनसंख्या वृद्धि के परिणामस्वरूप उत्पन्न सड़क संपर्कता के अंतरालों को दूर करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 11 सितंबर, 2024 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)- IV की शुरुआत की गई। इस चरण के अंतर्गत मार्च, 2029 तक 25,000 पात्र बसावटों को जोड़ने हेतु 62,500 किलोमीटर सड़कों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार , पात्रता का निर्धारण पूर्णतः वर्ष 2011 की जनगणना पर आधारित जनसंख्या मानकों के अनुसार किया जाता है। पीएमजीएसवाई-IV के अंतर्गत शामिल किए जाने हेतु यह एक मूलभूत शर्त है कि संबंधित बसावट वर्तमान में सड़क से ना जुड़ी हो ; अर्थात यदि कोई बसावट पहले ही बारहमासी सड़क से जुड़ी है तो वह इस चरण के अंतर्गत नई सड़क संपर्कता के लिए पात्र नही मानी जाएगी।

केरल राज्य द्वारा एर्नाकुलम जिले के एडप्पल्ली ब्लॉक स्थित कोरंगोट्टा बसावट के संबंध में आंकड़े प्रस्तुत किए गए। ये आंकड़े ग्राम सड़क सर्वेक्षण ऐप के माध्यम से संकलित किए गए, जो ग्रामीण संपर्क व्यवस्था के पारदर्शी एवं सटीक क्षेत्रीय मानचित्रण को सुनिश्चित करने हेतु विशेष रूप से विकसित एक जीआईएस-आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इस प्रस्ताव का ग्रामीण विकास मंत्रालय की तकनीकी शाखा , राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी (एनआरआईडीए) द्वारा गहन सत्यापन किया गया। जीआईएस मानचित्रण से यह पुष्टि हुई कि कोरंगोट्टा बसावट पहले से ही एक बारहमासी सड़क से जुड़ी हुई है। चूँकि पीएमजीएसवाई-IV का प्राथमिक उद्देश्य संपर्कविहीन बसावटों को "पहली-बार" बारहमासी सड़क संपर्कता प्रदान करना है , इसलिए कोरंगोट्टा बसावट आवश्यक पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करती। परिणामस्वरूप, पीएमजीएसवाई-IV के अंतर्गत कोरंगोट्टा बसावट को शामिल किए जाने के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया है।

(ङ) से (च): यद्यपि 'ग्रामीण सड़क' राज्य का विषय है, तथापि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) को दिसंबर, 2000 में केंद्र सरकार द्वारा एकबारगी विशेष कार्यकलाप के रूप में शुरू किया गया था। इसका प्राथमिक उद्देश्य निर्धारित जनसंख्या मानदंडों वाली पात्र संपर्कविहीन बसावटों को एकल बारहमासी सड़क संपर्कता उपलब्ध कराना है। इन वर्षों में इस कार्यक्रम का दायरा विभिन्न विशेष घटकों के माध्यम से विस्तारित किया गया है , जिनमें पीएमजीएसवाई-II, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना (आरसीपीएलडब्ल्यूईए), पीएमजीएसवाई-III तथा प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, कार्यक्रम की शुरूआत से ही जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न संपर्कता अंतरालों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा 11 सितंबर, 2024 को पीएमजीएसवाई-IV शूरु किया गया। इस चरण का उद्देश्य मार्च , 2029 तक 25,000 पात्र बसावटों को सड़क से जोड़ने हेतु 62,500 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करना है। पात्रता का निर्धारण वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर किया जाता है।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत केवल अनुमोदित सड़कों पर ही कल्वर्ट/कॉजवे तथा पुलों के निर्माण की अनुमति है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत लॉन्ग स्पैन ब्रिज (एलएसबी) (सामान्य क्षेत्र में अधिकतम लंबाई 150 मीटर तथा विशेष क्षेत्रों में 200 मीटर) के प्रस्ताव शामिल किए जाते हैं। केवल उन्हीं लॉन्ग स्पैन ब्रिजों को स्वीकृति प्रदान की जाती है , जो योजना के अंतर्गत स्वीकृत सड़कों के संरेखण पर स्थित हों। स्टैंड-अलोन ब्रिज की स्वीकृति इस योजना के अंतर्गत प्रदान नहीं की जाती है।

****